I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/11/2020 13:09 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	506
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 28/05/2019 **Date To (दिनांक तक):** 28/05/2019

Time Period (समय अवधि): Pahar 6 **Time From (समय से):** 17:36 hrs **Time To (समय तक):** 17:36 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/11/2020 **Time (समय):** 12:45 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/11/2020 12:51 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): छोछी बहराना रोड,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** JAI NARAYAN

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 27/06/1964 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	JHAJJAR, SADAR JHAJJAR, JHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	JHAJJAR, SADAR JHAJJAR, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416276704

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कुलदीप सिंह फोरेस्ट गार्ड			1. प्रभारी फोरेस्ट बीट डीघल झज्जर,JHAJJAR,HARYANA,INDIA

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक थाना, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक। श्रीमान जी,अनुरोधपूर्वक लिखा जाता है कि कार्यालय महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला में शिकायतकर्ता श्री हर्ष गर्ग सुपुत्र श्री विनोद गर्ग निवासी मकान संख्या 207/19, विवेकानन्द नगर, जीन्द से.आरोपी श्री कुलदीप, फोरेस्ट गार्ड (प्रभारी फोरेस्ट बीट डीघल जिला झज्जर) के विरूद्ध शिकायत व सी.डी. प्राप्त हुई। उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता श्री हर्ष गर्ग ने वर्णन किया था कि शिकायतकर्ता व उसके परिवारजनों के बरहाणा (छोछी-बरहाणा रोड़) जिला झज्जर में Used Oil Recycling के कारखाने है। पिछले 20-25 दिनों से आरोपी कुलदीप स्वयं व उसके द्वारा शिकायतकर्ता के कारखानों पर भेजे गए व्यक्तियों के माध्यम से शिकायतकर्ता को ब्लेकमैल करके, डरा धमकाकर शिकातयकर्ता से सम्बन्धित कारखानों के सभी दस्तावेज व विभिन्न विभागों से ली गई NOC की मांग कर रहा है, ये दस्तावेज न दिए जाने पर आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता पर आरोपी से मिलने का दबाव बनाया जा रहा है। दिनांक 28.05.2019 को समय लगभग सायं 5.36 बजे आरोपी कुलदीप का उसके मोबाईल फोन नं0 9518288836 से शिकायतकर्ता के मोबाईल फोन नम्बर 9990369581 पर फोन आया कि यदि तुम कल तक मुझसे आकर नही मिले तो मैं तुम्हारें विरूद्ध केस बनाकर आगे भेज दुंगा। इस ब्लेकमैलिंग से डरकर शिकायतकर्ता दिनांक 29.05.2019 को समय दोपहर लगभग 2.45 बजे आरोपी कुलदीप से अपने कारखानों पर मिला व आरोपी कुलदीप द्वारा मांगे जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को शिकायतकर्ता के कारखानों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई NOC दिखाई गई। इसके पश्चात आरोपी कुलदीप ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में राशि रूप्यें 07 लाख दिए जाने व रूप्यें 10,000/- मासिक दिए जाने की मांग की तथा आरोपी ने शिकायतकर्ता को ब्लेकमैल करने की नियत से कहा कि यदि ये पैसे नही दिए तो वन विभाग के विभिन्न कानून लगाकर तुम्हारें (शिकायतकर्ता) के विरूद्ध डैमेज रिपोर्ट बनाकर तुम्हारें (शिकायतकर्ता) के कारखाने बन्द करवा देगा व शिकायतकर्ता को जेल भिजवा देगा। आरोपी की ब्लेकमैलिंग व धमकियों से मजबूर होकर शिकायतकर्ता ने आरोपी को रूप्यें 05 लाख रिश्वत के रूप में दे दिए व रिश्वत की शेष राशि रूप्यें 02 लाख के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 02 दिन का समय दिया और कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने इस सम्बन्ध में किसी को बताया तो शिकायतकर्ता के कारखानें तो बन्द होंगे ही, शिकायतकर्ता को जान से भी मरवाकर आरोपी ऐसे जंगलों में फैंकवा देगा कि किसी को पता भी नही चलेगा और शिकायतकर्ता के घरवालें भी शिकायतकर्ता को नही ढुंढ पायेंगे। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा यादि क्रमांक 11432/शिकायत/228/करनाल दिनांक 12.07.2019 के अनुसार आरोपी श्री कुलदीप, फोरेस्ट गार्ड (प्रभारी फोरेस्ट बीट डीघल जिला झज्जर) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमति प्रदान किए जाने के लिए कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग, चण्डीगढ़ को पत्र लिखा जाने पर, कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन तथा वन्यप्राणी विभाग, हरियाणा से यादि क्रमांक 2243-व-5-2020/4633 दिनांक 01.09.2020 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपी कुलदीप, फोरेस्ट गार्ड के विरूद्ध कार्यवाही किए ज़ाने के सम्बन्ध में धाराधीन 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49, सन् 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई आवश्यक स्वीकृति को प्राप्त किया जाने पर, कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा यादि क्रमांक 42/12/2019-3 चौकसी-1 दिनांक 22.09.2020 के अनुसार जारी पत्र की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा पृष्ठांकन 11631/आई-5/रा.चौ.ब्यूरो (हरि.) दिनांक 28.09.2020 के अनुसार आरोपी श्री कुलदीप, फोरेस्ट गार्ड (प्रभारी फोरेस्ट बीट डीघल जिला झज्जर) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त होने पर यह लेख आरोपी श्री कुलदीप, फोरेस्ट गार्ड (प्रभारी फोरेस्ट बीट डीघल जिला झज्जर) के विरूद्ध धाराधीन 07, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49, सन् 1988 व 506 भा.द.स. के अन्तर्गत अभियोग अंकित किए जाने के लिए सम्बन्धित दस्तावेजों व 01 सी.डी. सहित, पृष्ठ संख्या 01 से 50 तक आपके पास भेजी जा रही है। SD-(जय नारायण) निरीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, उप केन्द्र, झज्जर अज थाना उपरोक्त लिखित तहरीर थाना हजा में प्राप्त होने पर मु0न0 09 दिनांक 09.11.2020 जेर धारा 7,13 पी0सी0एक्ट व 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया गया है कम्पयूटर प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ईमेल राज्य चौकसी ब्यूरो के सम्बन्धित अफशरान बाला को भेजी जा रही है मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब झज्जर को देने के लिए मुख्य सिपाही सुनील कुमार न0 4/435 को दी गई है हिदायत मुनासिब दी गई है नकल मिशल पुलिस मय असल तहररीर हस्ब आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक आगामी अनुसंधान हेतू निरीक्षक जयनारायण उपकेन्द्र रा0चौ0ब्यूरो झज्जर के हवाले की जाएगी । उपरोक्त मुकदमा थाना प्रबन्धक के कोड से निरीक्षक प्रदीप कुमार की हाजीरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** JAI NARAYAN **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 286RR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Pardeep Insp.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): प्रदीप कुमार

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):